



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162115

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26850 / 2026

सल्लू उर्फ हिमांशु

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद गंगवार, कु. आस्था

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद गंगवार तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I श्री विजय कुमार को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 302 / 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना भरथना, जनपद इटावा में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि केवल संदेह के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में दो अन्य व्यक्तियों के साथ अभियुक्त बनाया गया है। एफ.आई.आर. के अनुसार, सूचनादाता का मृतक पुत्र आवेदक तथा अन्य व्यक्तियों के साथ गया था, किंतु वापस नहीं लौटा और अगले दिन उसका शव नदी से अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में यह दुर्घटनावश हुई मृत्यु का मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने अन्य अभियुक्तों तथा मृतक के साथ शराब का सेवन किया था और उसके पश्चात मृतक दुर्घटनावश नदी में गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए इस कथन की पुष्टि करती है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामले के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात सह-अभियुक्त शिवा उर्फ सचिन को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उसका जमानत आदेश पेपर-बुक के पृष्ठ 105 पर संलग्न है। आवेदक का मामला भी उसके समान है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, किंतु उक्त आपराधिक इतिहास का वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्टीकरण दिया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 31.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. हालांकि, आरोप के अनुसार आवेदक ने अन्य व्यक्तियों, जिनमें सह-अभियुक्त शिवा उर्फ सचिन भी शामिल है, के साथ मिलकर मृतक की हत्या की है, किंतु यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर महज अस्पष्ट एवं मौखिक आरोप के अतिरिक्त कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
10. इसके अतिरिक्त, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृतक की मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत तर्क को इस स्तर पर पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. इसके अलावा, मामले के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात सह-अभियुक्त शिवा उर्फ सचिन को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।

12. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, किंतु उसके आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया गया है और दोनों मामलों में आवेदक जमानत पर है।

13. इसके अलावा, वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 31.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।

14. अतः ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

16. आवेदक सल्लू उर्फ हिमांशु को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक: 04 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।